न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :— 151/25

केशुसिंह दत्तक पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिलाचूरू

वादी

बनाम

1. लादुसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. सवाईसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. उम्मेदसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. नरपतसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. प्रहलादसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. फूससिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. रेवन्तसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बावत।

उपस्थित :—

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. प्रेमचन्द सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 7

—: निर्णय :—

दिनांकः— 13-11-25

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 1117/785, 1118/785, 1120/804, 1121/804, 839, 849 तादादी कमशः 3.6295, 11.2047, 1.9349, 4.3124, 2.2764, 1.0749 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 24.4328 हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने—अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का खान—पान, लेन—देन सब अलग—अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 20.09.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किस्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किस्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग की होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। खातेदार गुलाबकंवर, भंवरीकंवर, मुलीकंवर पुत्रियां भंवरकंवर ने अपनी हिस्सा भूमि जरीये पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 16.09.2025 के द्वारा अपने सगे भाइयों लादुसिंह, सवाईसिंह, उम्मेदसिंह, नरपतसिंह, प्रहलादसिंह, फूससिंह, रेवन्तसिंह पुत्रगण रामसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर के पक्ष में हकतर्क कर दी है। इस कारण इनका नाम खातेदारी से डिलीट किया जावे। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वकुलान की बहस सुनी गई। वकुलान ने दौराने बहस दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को राजीनामा अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वकुलान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने के कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। पक्षकार राजीनामा अनुसार वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः पक्षकारों का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम जोगलसर के खेत खसरा संख्या 1118/785 तादादी 11.2047 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 5.6023 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 1117/785 तादादी 3.6295 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 1.8148 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 839 तादादी 2.2764 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 1.1382 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 849 तादादी 1.0749 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 0.5374 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 1121/804 तादादी 4.3124 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 1.1888 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 1120/804 तादादी 1.9349 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण कुल किता 6 कुल रकबा 12.2164 हेक्टेयर भूमि केशुसिंह दत्तक पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर के नाम से अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 1118/785 तादादी 11.2047 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 5.6024 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 1117/785 तादादी 3.6295 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 1.8147 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 839 तादादी 2.2764 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 1.1382 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 849 तादादी 1.0749 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 0.5375 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 1121/804 तादादी 4.3124 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 3.1236 हेक्टेयर भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 12.2164 हेक्टेयर भूमि लादुसिंह, सवाईसिंह, उम्मेदसिंह, नरपतसिंह, प्रहलादसिंह, फूससिंह, रेवन्तसिंह पुत्रगण रामसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर के ब.हि.ब. नाम से अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खातेदार गुलाबकंवर, भंवरीकंवर, मुलीकंवर पुत्रियां भंवरकंवर का नाम हटाया जावे। इस हेतु अंतिम डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 13-11-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

अंतिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
केशुसिंह बनाम लादुसिंह आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बावत।

मुकदमा न.:– 15/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु..........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम जोगलसर के खेत खसरा संख्या 1118/785 तादादी 11.2047 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 5.6023 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 1117/785 तादादी 3.6295 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 1.8148 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 839 तादादी 2.2764 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 1.1382 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 849 तादादी 1.0749 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 0.5374 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 1121/804 तादादी 4.3124 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 1.1888 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 1120/804 तादादी 1.9349 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण कुल किता 6 कुल रकबा 12.2164 हेक्टेयर भूमि केशुसिंह दत्तक पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर के नाम से अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 1118/785 तादादी 11.2047 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 5.6024 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 1117/785 तादादी 3.6295 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 1.8147 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 839 तादादी 2.2764 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 1.1382 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 849 तादादी 1.0749 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 0.5375 हेक्टेयर भूमि, खसरा संख्या 1121/804 तादादी 4.3124 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 3.1236 हेक्टेयर भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 12.2164 हेक्टेयर भूमि लादुसिंह, सवाईसिंह, उम्मेदसिंह, नरपतसिंह, प्रहलादसिंह, फूससिंह, रेवन्तसिंह पुत्रगण रामसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर के ब.हि.ब. नाम से अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खातेदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

गुलाबकंवर, भंवरीकंवर, मुलीकंवर पुत्रियां भंवरकंवर का नाम हटाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज.......—.......मुबलिग.......—.......बाबत.......—.......खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह............... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.......—.......को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-11-2025......

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील प		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफरिक		
हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मी			मी		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)